प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02–01–2021 जनपद देवरिया

01.देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

कच्ची शराब के विरूद्ध विगत कई माह से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दबिश देकर काफी मात्रा में लहन व भट्ठियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 01–01–2021 को समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद देवरिया के पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध अभियान के क्रम में अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, विभिन्न धारिता की 90 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब व 60 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर 800 लीटर लहन नष्ट करते हुए 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थानों पर कुल 15 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

02.शातिर वाहन चोरों के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर वाहन चोर **01.परशुराम यादव पुत्र नर्वदा 02.दीलीप यादव पुत्र विजय यादव सा0 राघवपट्टी टोला फेलहा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर 03.दीनानाथ यादव पुत्र महंथ यादव सा0 माड़ापार थाना खोराबार गोरखपुर 04.मोनू शर्मा पुत्र विश्राम सा0 पटनी थाना अहिरौली कुशीनगर 05.राकेश यादव पुत्र लालबहादुर सा0 पिड़रा थाना हाटा कुशीनगर 06.आजय मौर्य पुत्र कोमल सा0 चनगही थाना पिपराईच गोरखुपुर 07. अखिलेन्द्र यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 पिपरपाती थाना हाटा कुशीनगर** का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु वाहन चोरी जैसे अपराध कारित करते हैं, जो भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 तथा 22 में वर्णित दण्डनीय अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, गिरोह बनाकर अपराध कारित कर धन अर्जित करना तथा सदस्यों को वितरित कर जीविकोपार्जन चलाना इनका पेशा है। इनके भय से समाज में कोई भी व्यक्ति एफ0आई0आर0 दर्ज कराने, गवाही देने से डरता है, इनका समाज में आतंक व्याप्त है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।